।। निदेशालय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।।

प्लाट नं.–04/01/10–11, सेक्टर नम्बर 04, विद्याधर नगर, जयपुर – 302029
फोन :– 0141–2612018, ,फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : trg.hghq.rj@rajasthan.gov.in

क्रमांक:DHG/TRG-2/Enroll-2(1)/2022-00073 दिनांक :

शुद्धिपत्र (Corrigendum) - 1

गृह रक्षा विभाग में स्वयंसेवकों का नामांकन वर्ष 2022 हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांकः गृरमु/प्रशि./टी–1( )2022–23/654–702 दिनांक 09.01.2023 में नामांकन नीति के स्थाई आदेश संख्या 02/2022 क्रमांकः गृरमु/प्रशि/टी–1( )/30912–57 दिनांक 04.11.2022 के अनुरूप निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

क्र. सं.	विज्ञप्ति में विद्यमान (अंकित) प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	**बिन्दु संख्या 5 "नामांकन हेतु परीक्षा केन्द्र"**	**बिन्दु संख्या 5 "नामांकन हेतु परीक्षा केन्द्र"**
	'गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया अप्रेल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किये जाने की संभावना है।	'गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया सितम्बर 2025 में आयोजित किये जाने की संभावना है।
2	**बिन्दु संख्या 7 मानदेय**	**बिन्दु संख्या 7 मानदेय**
	गृह रक्षा विभाग के नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की मांग एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी उपक्रमों में स्वयंसेवकों को नियोजित किया जाता है, जिसके लिए एक निश्चित मानदेय देने का प्रावधान है, जो वर्तमान में 693/–रूपये प्रतिदिवस होमगार्डस् के तौर पर नियोजित होने पर एवम् 590/–रूपये प्रतिदिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर देय है। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होम गार्ड्स नियमावली–1962 के नियम–8 के अनुसार चयनित स्वयंसेवक को मात्र 05 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवं 05 वर्ष की अवधि के बाद पुर्ननामांकन का प्रावधान है।	गृह रक्षा विभाग के नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की मांग एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी उपक्रमों में स्वयंसेवकों को नियोजित किया जाता है, जिसके लिए एक निश्चित मानदेय देने का प्रावधान है, जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से गृह रक्षा स्वयंसेवक को आरक्षी, वाहन चालक के समकक्ष कार्य हेतु नियोजन पर रूपये 965/–प्रति दिवस एवं चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष कार्य हेतु नियोजन पर रूपये 822/– प्रति दिवस देय है। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होम गार्ड्स नियमावली–1962 के नियम–8 के अनुसार चयनित स्वयंसेवक को मात्र 15 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवं 15 वर्ष की अवधि के बाद पुर्ननामांकन का प्रावधान है।
3	**बिन्दु संख्या 9 नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया**	**बिन्दु संख्या 9 नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया**
	उप बिन्दु V. चतुर्थ चरण:– मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण– अधिकतम अंक–05	**विलोपित किया गया।**

RajKaj Ref No.: 16908390
eSign 1.0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Singh Chauhan
Designation : Inspector General Of Police
Date: 2025.08.04 16:01:50 IST
Reason: Approved

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<u>उप बिन्दु VI.</u> <u>नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना</u>:–
परीक्षा के सभी चरणों के कुल 50 अंक होंगे जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी।
<table>
<tr><th>परीक्षा का चरण</th><th>अधिकतम अंक</th></tr>
<tr><td>शारीरिक दक्षता परीक्षा</td><td>25</td></tr>
<tr><td>विशेष योग्यता</td><td>20</td></tr>
<tr><td>मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण</td><td>5</td></tr>
<tr><td>अंकों का योग</td><td>50</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<u>उप बिन्दु VI.</u> <u>नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना</u>:–
परीक्षा के सभी चरणों के कुल 45 अंक होंगे जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी।
<table>
<tr><th>परीक्षा का चरण</th><th>अधिकतम अंक</th></tr>
<tr><td>शारीरिक दक्षता परीक्षा</td><td>25</td></tr>
<tr><td>विशेष योग्यता</td><td>20</td></tr>
<tr><td>अंकों का योग</td><td>45</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><u>उप बिन्दु VII.</u> <u>चयन सूची</u>:–
नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता एवं मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण में अंक दिये जायेंगे तथा मेरिट (योग्यता) सूची तैयार की जायेगी।</td>
<td><u>उप बिन्दु VII.</u> <u>चयन सूची</u>:–
नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता के अंक दिये जायेंगे तथा मेरिट (योग्यता) सूची तैयार की जायेगी।</td>
</tr>
</table>

(संदीप सिंह चौहान, IPS)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
निदेशालय गृह रक्षा, राजस्थान

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–7) विभाग, राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. उप महासमादेष्टा प्रथम/द्वितीय, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. सीनियर स्टाफ आफिसर प्रथम/द्वितीय, निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल राजस्थान।
8. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Singh Chauhan
Designation : Inspector General Of Police
Date: 2025.08.04 16:01:50 IST
Reason: Approved